


1

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 582 /जयपुर/1998-99

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री बालाजी शिक्षा समिति

ए-51 हनुमान नगर, रवातीपुरा, जयपुर जिला जयपुर


राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम

संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज

दिनांक 16 माह जनवरी सन् एक हजार नौ सौ 1999

को जयपुर में दिया गया।



रजिस्ट्रार संस्थाएँ
रजिस्ट्रार संस्थाएँ
जयपुर